

## राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।  
 क्रमांक : ई-26/राजपत्रित/ववि/के-67/2018/162 दिनांक : 6/02/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि डॉ० कुन्दन लाल पोरवाल, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (रेडियोलोजी), श्री राजेन्द्र सार्वजनिक चिकित्सालय, झालावाड,के विरुद्ध निदेशालय स्तर पर विभागीय जॉच/कार्यवाही विचाराधीन/प्रस्तावित नहीं है।।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-कोटा।
4. अधीक्षक, श्री राजेन्द्र सार्वजनिक चिकित्सालय, झालावाड को भेजकर लेख है कि डॉ० कुन्दन लाल पोरवाल, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (रेडियोलोजी) के पेंशन प्रकरण एवं अन्य परिलाभों का निस्तारण यथाशीघ्र करवाया जाकर निदेशालय को सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
5. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय को अवमानना संख्या 355/17 अन्तर्गत एसबीसिरिपि संख्या 9020/2014 डॉ० कुन्दन लाल पोरवाल बनाम सरकार व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.12.2016 के क्रम में।
6. डॉ० कुन्दन लाल पोरवाल प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (रेडियोलोजी) को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, ए.टी./डी.पी.सी. सैल, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
8. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित अधिकारी की मेल आई डी पर अपलोड करे।
9. गार्ड पत्रावली/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
 राज० जयपुर।

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं05(85)चिस्वा/2/2002/के-67पार्ट

जयपुर,दिनांक: 06-2-18

निदेशक(जन स्वा)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0जयपुर।

विषय:-डॉ0 कुन्दन लाल पोरवाल, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (रेडियोलोजी), श्री राजेन्द्र सार्वजनिक चिकित्सालय, झालावाड का विभागीय जांच लम्बित नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

6 FEB 2018

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि डॉ0 कुन्दन लाल पोरवाल, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (रेडियोलोजी), श्री राजेन्द्र सार्वजनिक चिकित्सालय, झालावाड जो अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण कर दिनांक 31.03.2011 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, के विरुद्ध आज तक:-

- 1- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

डॉ0 पोरवाल के विरुद्ध आपके अभिलेख अनुसार कोई विभागीय जांच इत्यादि लम्बित नहीं है भी सुनिश्चित करें।

भवदीय,

41.3  
(पारस चन्द जैन)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, ज्योति नगर, जयपुर।
- 2- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, कोटा।
- 3- अधीक्षक, श्री राजेन्द्र सार्वजनिक चिकित्सालय, झालावाड।
- 4- उप विधि परामर्शी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
- 5- डॉ0 कुन्दन लाल पोरवाल, सेवानिवृत्त, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (रेडियोलोजी) द्वारा अधीक्षक, श्री राजेन्द्र सार्वजनिक चिकित्सालय, झालावाड
- 6- रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव